इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक 37 / प्र0अ0–भवन / जोन–1 / शमन / 2012–13 दिनांक 03/ 09 / 2013

विनियमितीकरण

यह विनियमितीकरण निर्माण की अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अर्न्तगत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर **नर्सिंग होम का विनियमितीकरण** किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा। अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

डा0 सुजीत कुमार सिंह एवं डा0 आशा सिंह द्वारा प्लाट नं0–3 एवं 4 भूखण्ड संख्या–21सी. म्योर रोड, नसीबपुर बख्तियारा, इलाहाबाद के जोन संख्या (1) के अर्न्तगत दाखिल नर्सिंग होम के विनियमितीकरण मानचित्र उपाध्यक्ष महोदय के स्वीकृति / निर्गमन आदेश दिनांक 31.08.2013 के अनुपालन में निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन विनियमित किया जा रहा है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तो पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करना अनिवार्य होगा। एवं तत्सम्बन्ध समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।।
4. स्थल पर 04 अदद वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक होगा।
5. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुरूप विकसित होने के सम्बन्ध में भू–गर्भ जल बोर्ड खण्ड–यांत्रिक सिंचाई विभाग का प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी **इलाहाबाद** की अनापत्ति पत्र संख्या एफ0पी / सीएफओ / आई–1 / 2009 दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 तत्पश्चात नवीनीकरण दिनांक 28.07.2010 एवं 04 अक्टूबर, 2011 में अंकित प्रतिबन्धो का अक्षरशः अनुपालन करना होगा तथा पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पूर्व अन्तिम अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम **इलाहाबाद** की अनापत्ति पत्र संख्या–266 / STCE/13 दिनांक 16.08.2013 में अंकित प्रतिबन्धो का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।। (छायाप्रति संलग्न)
8. स्थल पर संक्रामक रोगो का इलाज नही किया जायेगा, इस हेतु दिये गये शपथ पत्र दिनांक 20.08.2013 का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा
9. मानचित्र में दर्शित अशमनीय भाग को स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर कुशल इन्जीनियर की देख–रेख में ध्वस्त करना होगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि अशमनीय भाग को गिराये जाने से स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्रभावित न हो और न ही जान–धन की हानि न होने पाये। साथ ही बेसमेन्ट के पार्टीशन इत्यादि हटाकर आवश्यक पार्किंग स्थल विकसित करना होगा।

Continued

10. विकलांगों व्यक्तियों हेतु रैम्प का प्राविधान उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाय।

11. स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयत्र की स्थापना अनिवार्य होगी तथा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व संयत्र स्थापित कर प्राधिकरण को मय फोटोग्राफ सूचित किया जाय।

12. स्थल का अधिभोग/उपयोग विनियमितीकरण मानचित्र के अनुसार ही करना होगा।

13. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

14. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।

15. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।

16. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आगे भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण बन गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत करकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।

17. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

18. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

19. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

<u>संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।</u>

03/09/13

(गुडाकेश शर्मा)
संयुक्त सचिव/प्र0अ0–भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

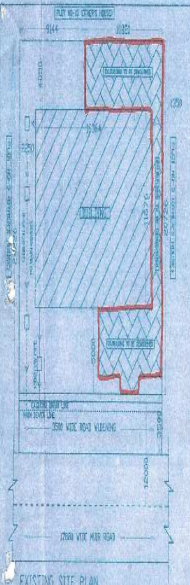

EXISTING SITE PLAN
SCALE- 1:200

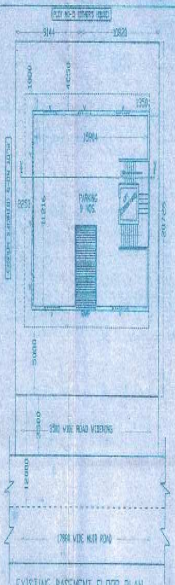

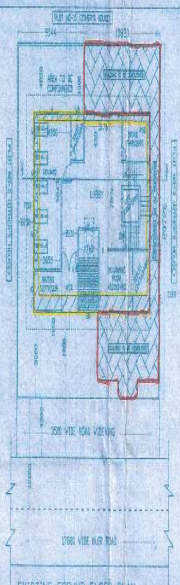

1)-EXISTING BUILDING TO BE RETAINED SHOWN THUS BY=
2)-EXISTING BUILDING TO BE DEMOLISHED SHOWN THUS BY=

EXISTING BASEMENT FLOOR PLAN
SCALE- 1:200

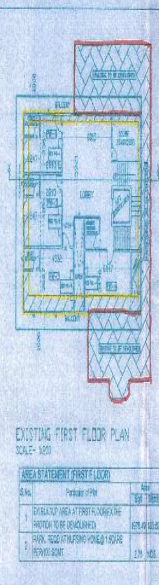

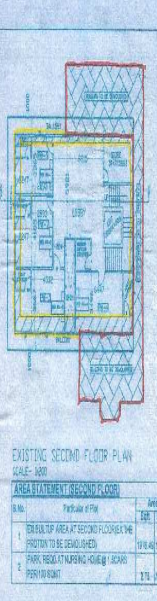

EXISTING GROUND FLOOR PLAN
SCALE- 1:200

1)-AREA TO BE COMPOUNDING SHOWN THUS BY=
2)-AREA TO BE DEMOLISHED SHOWN THUS BY=

EXISTING FIRST FLOOR PLAN
SCALE- 1:200

AREA STATEMENT (FIRST FLOOR)

S.No.	Particular of Plot	Area Sqft	Area Sqmt
1	EX.BUILTUP AREA AT FIRST FLOOR(EX.THE PROTION TO BE DEMOLISHED)	1976.49	183.62
2	PARK. REQD.AT NURSING HOME@ 1.5CARS PER/100 SQMT.	2.75	NOS.

EXISTING SECOND FLOOR PLAN
SCALE- 1:200

AREA STATEMENT (SECOND FLOOR)

S.No.	Particular of Plot	Area Sqft	Area Sqmt
1	EX.BUILTUP AREA AT SECOND FLOOR(EX.THE PROTION TO BE DEMOLISHED)	1976.49	183.62
2	PARK. REQD.AT NURSING HOME@ 1.5CARS PER/100 SQMT	2.75	NOS.

EXISTING TERRACE PLAN
SCALE- 1:200

AREA STATEMENT OF TERRACE

S.No.	Particular of Item	Area Sqft	Area Sqmt
1	BUILTUP AREA AT MUMTY	[illegible]	30.46

1)-AREA TO BE COMPOUNDING SHOWN THUS BY=

AREA STATEMENT (BASEMENT FLOOR)

S.No.	Particular of Plot	Area Sqft	Area Sqmt
1	BUILTUP AREA AT BASEMENT FLOOR	2056.57	191.06
2	TOTAL NOS.OF CAR PARKING(COVERED)	9.00	NOS.

AREA STATEMENT (GROUND FLOOR)

S.No.	Particular of Plot	Area Sqft	Area Sqmt
1	EX.BUILTUP AREA AT GROUND FLOOR(EX.THE PROTION TO BE DEMOLISHED)	1976.49	183.62
2	% GROUND COVERAGE	44	
3	THE AREA TO BE COMPUNDING AT FRONT PORTION	176.10	16.36
4	THE AREA TO BE COMPUNDING AT SIDE'S PORTION	132.07	12.27
5	THE AREA TO BE COMPUNDING AT FRONT PORTION	176.10	16.36
6	TOTAL AREA TO BE COMPUNDING AT FRONT/SIDE'S	484.27	44.99
7	PARK. REQD.AT NURSING HOME@ 1.5CARS PER/100 SQMT.	2.75	NOS.

SCHEDULE OF OPENING(REF.FFL AS LVL±0)

DOOR	SIZE WIDTH	SIZE HEIGHT	CILL	LINTEL	REMARKS
DOOR-D	1200	2100	FFL	+2100	
DOOR-D1	1000	2100	FFL	+2100	
DOOR-D2	750	2100	FFL	+2100	
WINDOW					
WINDOW-W	1800	1350	+750	+2100	
WINDOW-W1	900	1350	+750	+2100	
WINDOW-W2	1200	1350	+975	+2100	
VENTILATOR					
VENTILATOR-V	900	450	+2100	+2550	
VENTILATOR-V1	600	450	+2100	+2550	

KEY PLAN
SCALE- N.T.S.

MAIN AREA STATEMENT

S.No.	Particular of item	Area Sqft	Area Sqmt
1	TOTAL PLOT AREA	5204.61	483.52
2	AREA UNDER ROAD WIDENING	752.08	69.87
3	NET PLOT AREA	4452.53	413.65
4	BUILTUP AREA AT GROUND FLOOR	1976.49	183.62
5	OPEN AREA AT GROUND FLOOR	2476.04	230.03

BUILTUP AREA STATEMENT (FOR FAR)

S.No.	Particular of item	NURSING HOME Sqft	NURSING HOME Sqmt		
6	BUILTUP AREA AT GROUND FLOOR	1976.49	183.62		
7	BUILTUP AREA AT FIRST FLOOR	1976.49	183.62		
8	BUILTUP AREA AT SECOND FLOOR	1976.49	183.62		
9	**TOTAL BUILTUP AREA**	**5929.46**	**550.86**		
10	**GRAND BUILTUP AREA**	**550.86**			
11	**ACHIVED F.A.R.**	**1.33**			
	PARKING DETAIL AT NURSING HOME				
12		NURSING HOME		CAR PARK. REQD.@1.5	
13	—			CARS./100 SQM.	
14	GROUND FLOOR	183.62	SQMT.	2.75	NOS.
15	FIRST FLOOR	183.62	SQMT.	2.75	NOS.
16	SECOND FLOOR	183.62	SQMT.	2.75	NOS.
17	**TOTAL CAR PARK. REQUIRED**			**8.26**	**NOS.**
18	CAR PARKING PROVIDED AT BASEMENT FLOOR (COVERED)			**9.00**	**NOS.**
		Sqft	Sqmt		
19	BUILTUP AREA AT BASEMENT FLOOR	2056.57	191.06		
20	BUILTUP AREA AT MUMTY	327.871	30.46		

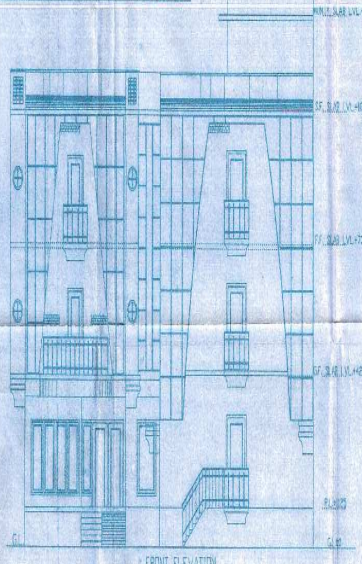

FRONT ELEVATION
SCALE- 1:100

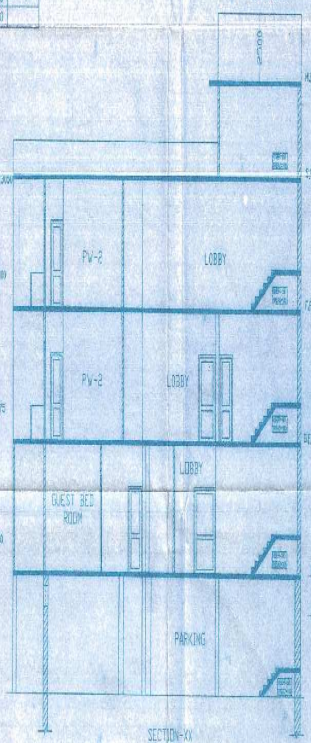

SECTION-XX
SCALE- 1:100

PROJECT:- EXISTING NURSING HOME BUILDING PLAN AT PLOT NO.-3 & PLOT NO.-4 ON FREE HOLD PLOT NO.-21C/1 NASIBPUR BAKHTIYARA PORTION OF BUNGLOW NO.-OLD-21 NEW. 89/276 AT MUIR ROAD ALLAHABAD.

OWNER:- 1.DR. ASHA SINGH W/O DR. SUJIT KR. SINGH
2.DR. SUJIT KR. SINGH S/O SHRI. PRABAL PRATAP SINGH

OWNER:-

THIS IS CERTIFIED THAT BUILDING PLAN IS AS PER BY LAWS OF 2008 AND MASTER PLAN 2021

AKHILESHWAR SINGH
ARCHITECT
B.Arch., M.E., C.O.A.
Reg. No. CA/94/16740
ARCHITECT:-